समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

जीएलएनएस कॉम्पलेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली–02

(प्रश्न शाखा)

फा.स.59.(60)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021.22/पार्ट–1/18240–18242 दिनांक: 30 DEC 2021

सेवा में

श्रीमान उप–सचिव (प्रश्न शाखा)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

दिल्ली–110054

विषय– अतारांकित प्रश्न संख्या– 163 दिनांक 04.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिल्ली विधान सभा से प्राप्त ई–मेल दिनांक 27.12.2021 जो कि इस विभाग से संबंधित है।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत उत्तर प्रेषित किए जाते हैं।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

उप–निदेशक (दिव्यांगजन /आरजीओ)

संलग्न–उपरोक्तानुसार

फा.स.59.(60)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021.22/पार्ट–1/18240–18242 दिनांक: 30 DEC 2021

1.निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–1100054.

2.सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली–02.

(हस्ताक्षर)

उप–निदेशक (दिव्यांगजन/आरजीओ)

Scanned with CamScanner

समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर
दिल्ली गेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या – 163
दिनांक – 04/01/2022
प्रश्नकर्ता – श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	रोहिणी विधान सभा में बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी की मृत्यु के कारण कितने स्थान रिक्त हुये हैं तथा उन रिक्त स्थानों पर दिल्ली सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन कब से प्रारम्भ किये जाएंगे ;	रोहिणी विधान सभा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2019 से नवम्बर 2021 तक मृत्यु के कारण कुल 343 स्थान रिक्त हुये हैं । वर्तमान में वर्ष 2018 में आबंटित रिक्तियों के आधार पर जिस विधान सभा क्षेत्र में रिक्तियॉं उपलब्ध हैं वहॉं आवेदन भरे जा रहे हैं । अतिरिक्त नयी रिक्तियों का मामला नीतिगत निर्णय है जो कि समय –समय पर मंत्री मंडल द्वारा लिया जाता है ।
(ख)	क्या दिल्ली सरकार ने वृद्ध कल्याण हेतु कोई अन्य योजना वृद्धजनों को समर्पित की है;	वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा वृद्ध कल्याण हेतु निम्नलिखित योजनाएँ चल रही हैं- • वृद्धाश्रम 02 • वृद्ध व्यक्तियों द्वारा संचालिल 150 मनोरंजन केंद्रों को सहायता अनुदान • 11 भरण-पोषण न्यायाधिकरण एवं 11 अपीलीय न्यायाधिकरण • वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन- 14567
(ग)	यदि हॉ, तो पूर्ण विवरण दें;	विवरण इस प्रकार है- • वृद्धाश्रम- इन संस्थानों में वृद्ध जनों को वस्त्र, भोजन, दैनिक उपयोग की वस्तुएँ दी जाती हैं। साथ ही इन संस्थानों में वृद्धजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए चिकित्सक एवं उपचारिका कि सुविधा भी उपलब्ध होती है। • वृद्ध व्यक्तियों द्वारा संचालित मनोरंजन केंद्रों को सहायता अनुदान- गैर सरकारी अथवा निजी संस्थाओं द्वारा वृद्धजनों के लिए चलाए जाने वाले मनोरंजन केंद्रों के लिए दिल्ली सरकार सहायता अनुदान प्रदान करती है, जिसकी मदद से ये संस्थाएँ वृद्धजनों के लिए

Deputy Director (FAS)
Department of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi

Scanned with CamScanner

		खेल, संगोष्ठी एवं पर्यटन का आयोजन करती हैं। • भरण-पोषण न्यायाधिकरण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण- वृद्ध जन अपने भरण-पोषण के अधिकारों के लिए इन न्यायधीकरणों में आवेदन कर सकते हैं। वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन- 14567 - एन.आई.एस.डी., समाज कल्याण विभाग (दिल्ली सरकार) व हेल्पऐज- इंडिया (स्वयं सेवी संस्था) के त्रिपक्षीय अनुबंध के अंतर्गत वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन- 14567 चलाई जा रही है, जिसके तहत वृद्धजनों को विभिन्न प्रकार की सहायताएँ, सूचनाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।
(घ)	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का क्या मानदण्ड है, स्पष्ट करें । दिल्ली की सेवा बस्तियों से कितने बुजुर्गो का तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए आज तक पंजीकरण किया गया है;	इस विभाग से संबंधित नही है । अतः संबंधित विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है ।
(ड़)	दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कितने वृद्धा आश्रम है तथा क्या उनमें रहने वाले बुजुर्गो को मुख्यमंत्री यात्रा योजना के अंतर्गत कोई तीर्थ यात्रा कराई गई है; और	दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान में दो वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं, एक बिंदापुर और दूसरा वजीरपुर में स्थित हैं। उनमें रहने वाले बुजुर्गों को मुख्यमंत्री यात्रा योजना के अंतर्गत कोई तीर्थ यात्रा अभी तक नहीं कराई गई है ।
(च)	क्या दिल्ली सरकार द्वारा बुजुर्गो की उचित देखभाल के लिए एकमुश्त राशि या विशेष पेंशन की कोई योजना है ?	वर्तमान में आर्थिक सहायता अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार के अन्तर्गत वृद्धजनों हेतु वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना चलाई जा रही हैं जिसके अन्तर्गत 2000/– रूपयें प्रतिमाह (60–69 आयु वर्ग) एवं 2500/– रूपये प्रतिमाह (70 और उससे अधिक आयु वर्ग) प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्प संख्यक वर्ग के वृद्ध लाभार्थियों को रूपये 500/– अतिरिक्त प्रदान किये जाते हैं ।

Deputy Director (FAS)
Department of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi

Scanned with CamScanner